

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1539] No. 1539] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2014/श्रावण 6, 1936

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2014/SHRAVANA 6, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 1913(अ.)— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 203 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन पब्लिक कंपनियों, जिनकी समादत्त शेयरपूंजी एक सौ करोड़ रुपए अथवा अधिक है तथा वार्षिक व्यापारावर्त एक हजार करोड़ रुपए अथवा अधिक है और जो बहुविध कारबार में लगी हुई है तथा जिन्होंने ऐसे प्रत्येक कारबार के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, को उक्त अधिनियम की धारा 203 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए कंपनियों के वर्ग के रूप में अधिसुचित करती है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, समादत्त शेयरपूंजी और वार्षिक व्यापारावर्त का विनिश्चय अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर किया जाएगा।

[फा.सं. 1/5/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2014

S. O. 1913(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of Section 203 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby notifies that public companies having paid-up share capital of rupees one hundred crore or more and annual turnover of rupees one thousand crore or more which are engaged in multiple businesses and have appointed Chief Executive Officer for each such business shall be the class of companies for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of Section 203 of the said Act.

Explanation.—For the purposes of this notification, the paid-up share capital and the annual turnover shall be decided on the basis of the latest audited balance sheet.

[F. No. 1/5/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

3027 GI/2014